N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0118 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/06/2024 19:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/06/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:03 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/06/2024 **Time (समय):** 18:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/06/2024 19:40:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** Room no-03, Upbhokta Shakha, AEN Office O-M Rural, Jaipur Discom Jhalawar

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mohan Lal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Tulsiram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 30/08/1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Gudha A.R.Nagar Jhalawar, Jhalrapatan, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Gudha A.R.Nagar Jhalawar, Jhalrapatan, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Aashish Kumar		पिता:Ram Dular Ray	1. 99,Lalbag,Jhalrapatan,JHALAWA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

[redacted]

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2024 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहनलाल पुत्र श्री तुलसीराम जाति मेहर उम्र 34 साल निवासी गांव गुडा ए.आर. नगर झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी श्री मोहनलाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्ंवय द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा होना एवं उस पर स्वय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री मोहनलाल ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि "प्रार्थी की पत्नि श्रीमती प्रियंका के नाम ग्राम रलायती थाना झालरापाटन सदर में 8 बीघा कृषि भूमि है, जिसमें कृषि कनेक्शन हेतु प्रार्थी द्वारा जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ में लाईट के थ्री फेज कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जो मेरी पत्नि के नाम स्वीकृत हो चुका है तथा जिसका डिमाण्ड भी प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.03.2024 को 24,950रूपये का जमा करवा दिया गया है। प्रार्थी अपने कृषि भूमि पर कृषि कनेक्शन करवाने हेतु जेईएन ग्रामीण से मिला तो उन्होने स्टोर कीपर आशीष से मिलने के लिए बोला जब मैं आशीष स्टोर कीपर से मिला तो उन्होने बताया कि कृषि कनेक्शन ऐसे नहीं होगा, इसमें आपको मुझे 30,000रूपये खर्चे पानी के देने पड़ेगे। मुझे एईएन और जेईएन को भी देने पड़ते है, तब जाकर आपका कृषि कनेक्शन होगा। मैं डिमाण्ड जमा के बाद कई बार आशीष के पास गया, परन्तु वह बार-बार रिश्वत देने की बोलता है। मैं जायज काम के पैसे नहीं देना चाहता हूं। मैं उसको रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी आशीष से कोई पुरानी रंजिश नहीं है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें"। परिवादी श्री मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 01.25 पीएम श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें नया मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K02V BM MADE IN TAIWAN) डालकर चेक कर परिवादी श्री मोहनलाल को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया आपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री मोहनलाल की आरोपी श्री आशीष स्टोर कीपर जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ से रिश्वत मांग की वार्ता डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 02.40 पीएम पर परिवादी श्री मोहन लाल व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री मोहनलाल द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K02V BM MADE IN TAIWAN) पेश किया। परिवादी श्री मोहनलाल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री देवदान कानि. नं. 425 के समक्ष बताया कि आपके निर्देषानुसार हम दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर कार्यालय जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ से कुछ दूरी पर रूके। मैं डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ तथा मेरे पीछे-पीछे श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटर साईकिल से रवाना हुए। मैं जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ परिसर में पहुंचा तथा साईड में स्टेंड पर अपनी मोटरसाईकिल खड़ी कर स्टोर कीपर के कक्ष की और रवाना हुआ। श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटरसाईकिल खड़ी कर पैदल-पैदल मुझसे कुछ दूरी बनाते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने स्टोर कक्ष नम्बर 03 में प्रवेश किया तथा श्री देवदान सिंह जी स्टोर कक्ष के बाहर ही रूक गये थे। स्टोर के अन्दर श्री आशीष स्टोर कीपर कुर्सी पर बैठे हुए राजकार्य कर रहे थे। मैंने अपने विद्युत कनेक्शन के सम्बंध में उनसे बातचीत की तो उन्होने पूर्व में हुई हमारी वार्तानुसार कहां कि 30,000रूपये लेकर आओ तब जाकर आपका कृषि विधुत कनेक्शन होगा। इस पर मैंने कहा कि कुछ कम करो तो उन्होने कहा कि कम नहीं होगें 30,000रूपये ही देने ही पड़ेगे। इसमें से 10,000रूपये तो मेरे व शेष 20,000रूपये एईएन/जेईएन साहब को भी देने पड़ेगें तभी आपका विधुत कनेक्शन का काम होगा। इस पर मैंने उनसे कल दिनांक 14.06.2024 को बाद दोपहर रूपयों का इंतजाम होने पर आने की कहा। यदि रूपयों

का इंतजाम नहीं होता है तो फिर बाद में पैसों का इंतजाम करके ही आऊंगा। मेरी व श्री आशीश स्टोर कीपर की जो भी वार्ता हुई है, वह आप द्वारा दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड कर ली है तथा हमारी वार्ता होने बाद में स्टोर कक्ष से बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द करके मैंने अपने पास जेब में रख लिया था तथा स्टोर कक्ष से बाहर आने पर श्री देवदान सिंह जी मेरे पास आये जिन्हे मैंने सारे हालात बताये तथा वहां से हम दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये है। परिवादी श्री मोहनलाल द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये कथनों की निगरानी हेतु हमराह गये श्री देवदान सिंह कानि. से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर उसने परिवादी के कथनो की ताईद करते हुए बताया कि परिवादी श्री मोहनलाल मेरे सामने स्टोर कक्ष में गया था, जिसे मैं दूर खड़ा होकर दिखाई देने वाले स्थान से देख रहा था। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो उसमें वार्ताऐं होने की पुश्टि हुई। इस पर परिवादी श्री मोहनलाल को आरोपी से हुई वार्तानुसार रिश्वत राशि का इन्तजाम कर कार्यालय में उपस्थित आने व अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। परिवादी के रवाना होने से पूर्व फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मोहनलाल द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकार्डेड डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द शुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 14.06.2024 समय 11.00 एएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी श्री मोहन लाल कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि मेरे पास 30,000रूपये का इंतजाम हो गया है। आरोपी श्री आशीष स्टोर कीपर द्वारा आज दोपहर बाद तक रूपये लेकर आने की कहा था। मैंने अपने स्तर पर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि आरोपी श्री आशीष स्टोर कीपर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित है। इस पर दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 832 दिनांक 14.06.2024 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि0 166 को पत्र देकर कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ के लिए रवाना किया। समय 11.40 एएम श्री शिवराज कानि0 166 मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ से अपने साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ का पत्रांक 422 दिनांक 14.06.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम रामप्रसाद मीना पुत्र स्व0 श्री हरलाल जाति मीना उम्र 59 साल निवासी मानपुरा पुलिस थाना नासीरदा तहसील देवली जिला टोंक हाल उप निदेशक कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ (राज0) मो0नं0 थ दूसरे ने अपना नाम भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री फूलचन्द जाति राठोर उम्र 51 साल निवासी लंका गेट पिंजारा मोहल्ला झालरापाटन, जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय उप निदेशक उद्यान, झालावाड़ (राज0) मो0नं0 9887423116 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाया तथा पास ही बैठे परिवादी श्री मोहन लाल मेहर से उनका आपसी परस्पर परिचय करवाकर परिवादी श्री मोहन लाल द्वारा दिनांक 13.06.2024 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 11.50 एएम पर परिवादी श्री मोहन लाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामप्रसाद मीना उप निदेशक उद्यान व श्री भूपेन्द्र कुमार वरिष्ठ लिपिक की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 13.06.2024 को परिवादी श्री मोहन लाल एवं आरोपी श्री आशीष स्टोर कीपर जे.वी.वी.एन.एल., झालावाड़ के मध्य परस्पर रिश्वत राशि मांग की गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K02V BM MADE IN TAIWAN) में रिकार्ड है। दिनांक 13.06.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देष देकर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मोहन लाल के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर आन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मोहन लाल ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री आशीष स्टोर कीपर की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देषन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर षामिल पत्रावली की गई। समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री मोहन लाल ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामप्रसाद मीना उप निदेशक उद्यान व श्री भूपेन्द्र कुमार वरिष्ठ लिपिक के समक्ष अपने पास से 30,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के कुल 60 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री शिवराज

कानि. नं. 166 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 30,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे तथा गवाह श्री रामप्रसाद मीना से परिवादी श्री मोहन लाल की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री शिवराज कानि. नं. 166 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि को परिवादी श्री मोहन लाल की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री आशीष स्टोर कीपर जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनो स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री शिवराज कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री शिवराज कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलिये को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री रामप्रसाद मीना व श्री भूपेन्द्र कुमार एवं परिवादी श्री मोहन लाल को दृश्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से पानी के घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री शिवराज कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में भरे पानी के गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों टे्प सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री शिवराज कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्ंवय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वत राषि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकार्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री मोहन लाल को सुपुर्द किया गया। दृश्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राषि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पष्चात् परिवादी श्री मोहन लाल को उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा स्टाफ की कमी होने के कारण नोटों पर पाउडर लगाने वाले कानि0 श्री शिवराज नं0 166 को भी आफिस का लोक लगवाकर साथ लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री रामप्रसाद मीना व श्री भूपेन्द्र कुमार, मोहम्मद आफा़क़ सउनि, मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर के तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28 एक मोटर साईकिल से व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि0 166 एक अलग मोटर साईकिल से मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों से बजानिब कार्यालय जे.वी.वी.एन. एल., झालावाड़ की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 03.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री रामप्रसाद मीना व श्री भूपेन्द्र कुमार तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर के सरकारी व प्राईवेट अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ से कुछ दूरी पर रूके। परिवादी श्री मोहन लाल अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। परिवादी श्री मोहन लाल को पुनः समझाईस कर आरोपी श्री आशीष स्टोर कीपर के पास उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा वाहनों को रोड़ से साईड में खड़ा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के परिवादी श्री मोहन लाल के पीछे-पीछे कुछ दूरी बनाकर रवाना हुए। परिवादी श्री मोहन लाल कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ में प्रवेष हुआ तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के मेन गेट के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री मोहन लाल के ईशारे का इंतजार करने

लगा। समय 04.03 पीएम पर इस समय परिवादी श्री मोहन लाल ने कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ के चेनल गेट से बाहर आकर मेन गेट पर बाहर रोड़ पर साईड में खड़े मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत राशि देने का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर कर किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के परिवादी श्री मोहन लाल के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्ड प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं कमरा नं0 03 उपभोक्ता शाखा ग्रामीण झालावाड़ में पहुंचा, जहां पर श्री आशीष स्टोर कीपर व श्री प्रदीप कुमार जेईएन साहब बैठे हुए राजकार्य कर रहे थे। मेरे पहुंचने पर श्री प्रदीप कुमार जेईएन साहब वहां से चले गये थे। मैंने अपने कृषि विघुत कनेक्शन के सम्बंध में श्री आशीष स्टोर कीपर से बातचीत की तथा मैंने कहा मैं आपकी मांग अनुसार 30,000रूपये ले आया हूं। इस पर श्री आशीष स्टोर कीपर ने कहा कि मैंने आपका कृषि कनेक्शन का डिमाण्ड जल्दी निकलवाया है। मैंने मेरा पूरा काम कर दिया है, इसके एवज में मुझे 10,000रूपये दे दो। डीपी व पोल के लिए मैं अभी जेईएन साहब से बात करके बताता हूं। इस पर वो मुझे श्री प्रदीप कुमार जेईएन साहब के पास जो बाहर खड़े हुए थे उनके पास ले गये। जहां पर श्री प्रदीप कुमार जेईएन साहब ने डीपी व पोल के 20,000रूपये देने के लिए बोला व ठेकेदार की व्यवस्था स्वयं करने के लिए कहा। इसके पश्चात मैं व श्री आशीष कुमार स्टोर कीपर कमरा नं0 07 में गये। जहां श्री आशीष स्टोर कीपर ने मुझे वहां पड़े रफ कागज में से दो कागज उठाकर दिये और कहा कि एक कागज में 10,000रूपये व दूसरे कागज में 20,000रूपये रखकर पैक कर मुझे दो। मैंने उनके कहे अनुसार उक्त रिश्वत राशि को अलग-अलग कागज में पैक कर उन्हे सुपुर्द कर दिये। जिसे उन्होने मुझसे लेकर दस हजार रूपये के कागज के पैकिट को शर्ट की बायी जेब में तथा बीस हजार रूपये के कागज के पैकिट को पेंट की सामने की बायीं जेब में रख लिये, उसके बाद श्री आशीष स्टोर कीपर अपने कक्ष कमरा नं. 03 में चले गये तथा मैंने चैनल गेट के बाहर आकर आपको ईषारा कर दिया था। हमारे बीच में जो भी वार्ता हुई है। वह आप द्वारा मुझे सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री मोहन लाल को साथ लेकर मय ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ में उपभोक्ता शाखा ग्रामीण झालावाड़ का कमरा नं0 03 में पहुंचा तो दो व्यक्ति बैठे हुए थे। टेबल के सामने बैठे व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री आशीष स्टोर कीपर है जिन्हें मैंने अभी इनकी मांग अनुसार दो कागजों में अलग-अलग रिष्वत राषि पैक कर दी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा टेबल के सामने बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देकर आने का कारण बताया तथा उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आशीष कुमार पुत्र श्री राम दुलार राय जाति ब्राह्मण उम्र 37 साल निवासी महाराणा प्रताप नगर न्यू पुलिस लाईन आरा थाना नवादा जिला भोजपुर (बिहार) हाल किराया का मकान नं0 99 लालबाग झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल तकनीशियन -प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से अभी-अभी प्राप्त की गई रिश्वत राशि 30,000रूपये के बारे में पूछा तो श्री आशीष कुमार तकनीकी सहायक ने बताया कि यह अभी-अभी मेरे कक्ष में आये थे, इन्होने अपनी मर्जी से खुश होकर दो कागज के पैकेट में रूपये रख कर मुझे दिये है। मैं इनसे मना कर रहा था। फिर भी इन्होने कहा रख लो मैं खुशी से दे रहा हूं। इस पर परिवादी श्री मोहन लाल से पूछने पर उसने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुए बताया कि इन्होने डिमाण्ड राषि को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने के लिए बतौर रिष्वत 10,000रूपये मुझसे मांगे थे। जब मैं कल दिनांक 13.06.2024 को श्री देवदान जी के साथ रिष्वत मांग का सत्यापन करवाने आया था उस दौरान इन्होने 10,000रूपये स्वयं के लिए व 20,000रूपये जेईएन साहब को देने के लिए कहा था। इनकी मांग के अनुसार ही मैंने आज 30,000रूपये का इंतजाम करके इनके कहे अनुसार एक कागज में 10,000रूपये व दूसरे कागज में 20,000 रूपये लपेट कर कुल 30,000रूपये रिष्वत राषि इनको दी है। आशीष जी जो कह रहे है कि मैंने राजीखुशी से 30,000रूपये रिष्वत दी है, वह गलत है। इस पर मेरे निर्देष पर आरोपी श्री आशीष कुमार तकनीषियन-प्रथम के दोनों हाथ पकड़े के निर्देष दिये जिस पर श्री देवदान सिंह कानि0 ने बायां हाथ व श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक ने दायां हाथ कलाई के ऊपर से पकड़ लिये। एक डिस्पोजल गिलास में पानी डालकर कर उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग रंगहीन रहा उस घोल में श्री आशीष कुमार का बायां हाथ की अंगुलियों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया जिसे दो कांच की शिशियो में अलग-अलग भरवाकर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सील चस्पा कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। एक दूसरे डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसमें आरोपी श्री आशीष के दायां हाथ की अगूंलियों को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया। इस धोवन को भी दो कांच की शिशियो में अलग-अलग भरवाकर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सील चस्पा कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री रामप्रसाद मीना उप निदेषक उद्यान झालावाड़ को निर्देष देकर आरोपी श्री आशीष कुमार तकनीषियन-प्रथम की तलाषी लिवायी तो शर्ट की सामने की बायीं जेब कागज में लिपटे 500-500रूपये के 20 नोट कुल 10,000रूपये मिले जो निम्नानुसार है- 1 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8NE 075740 2 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5RC 271536 3 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1PB 937558 4 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5CN 389361 5 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9NB

170871 6 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6KU 359694 7 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1AP 120603 8 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4EB 786297 9 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4SS 586453 10 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5QP 232474 11 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9AG 283572 12 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0KM 861788 13 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1BK 985783 14 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7DN 027647 15 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8PH 077625 16 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6AB 015129 17 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2LC 369861 18 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9CR 953834 19 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1BW 367542 20 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6AK 146430 इस प्रकार पेंट की सामने की बायीं जेब में कागज में लिपटे 500-500 के 40 नोट कुल 20,000रूपये मिले जो निम्न प्रकार है:- 1 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4AL 990764 2 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9CN 584099 3 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8ET 014984 4 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0VU 901324 5 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9GT 878647 6 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4GQ 385101 7 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4GQ 385100 8 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4GQ 385099 9 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4GQ 385098 10 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1WP 954803 11 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5FW 122289 12 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1TS 739693 13 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0KB 753689 14 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9KN 655334 15 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6ED 317661 16 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4UR 071652 17 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7LC 633756 18 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7DW 283631 19 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1DV 228157 20 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8BM 663110 21 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1AE 184207 22 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9GK 659438 23 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2GB 155203 24 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5ME 028682 25 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3NV 382074 26 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4LV 566739 27 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6NG 446829 28 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3NE 244596 29 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8BM 837313 30 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7NN 115897 31 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4DF 217601 32 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1KG 275841 33 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6KU 340487 34 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6FM 638851 35 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8GN 196954 36 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3PD 646064 37 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1UP 623810 38 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3DV 011390 39 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4GM 583797 40 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2CL 568774 उक्त सभी नोटों को फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही 30,000रूपये एक कागज में 10,000रूपये व एक कागज में 20,000रूपये पाये गये, जिनको दो कागज के अलग-अलग लिफाफों में रखकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया तथा आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में मिले 3,060रूपये के बारे में पूछा गया तो उसने घर से साथ लाना बताया तथा पर्स में कागज इत्यादी रखे हुए थे। आरोपी का जवाब संतोशप्रद होने पर पर्स और 3,060रूपये आरोपी को वापस लौटाये गये। इसके बाद लिपटे मिले 10,000रूपये के कागज को एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर का पानी का घोल तैयार करवाकर एक कपड़े की चिन्दी को धोवन में डूबोकर कागज पर रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर मार्क एसके-1, एसके-2 अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया तथा एक डिस्पोजल गिलास में पुनः सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर पानी का घोल तैयार करवाकर पेंट की सामने की बायीं जेब में लिपटे मिले 20,000रूपये के कागज को भी एक कपड़े की चिन्दी को धोवन में डूबोकर कागज पर रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी दो कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर मार्क पीके-1, पीके-2 अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। दोनों कागजों को सुखाकर उस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर 10,000रूपये मिले कागज पर मार्क-एसके तथा 20,000रूपये मिले कागज पर मार्क-पीके अंकित कर अलग-अलग कपड़े की थैली में धोवन की चिन्दी सहित मार्क-एसके व पीके अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित पत्रावली की प्रमाणित शुदा फोटोकापी प्राप्त कर कब्जे एसीबी ली गई। सफेद रंग के डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नश्ट किया गया। आरोपी श्री आशीष कुमार के हाथों के धुलाई के धोवन में घोल का रंग रंगहीन/गंदला आने पर आरोपी की शर्ट व पेन्ट की धुलाई नहीं करवायी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई की विस्तृत फर्द तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 06.00 पीएम पर आरोपी श्री आशीष कुमार तकनीषियन-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़० को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री रामप्रसाद मीना व श्री भूपेन्द्र कुमार के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 13.06.2024 को परिवादी श्री मोहन लाल द्वारा आपसे कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ में उपभोक्ता शाखा ग्रामीण झालावाड़ का कमरा नं0 03 में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा आज दिनांक 14.06.2024 को कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ में उपभोक्ता शाखा

ग्रामीण झालावाड़ का कमरा नं0 03 में वक्त रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी श्री मोहन लाल से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री मोहन लाल द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री आशीष कुमार ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से परीक्षण नहीं करवाना चाहता हू" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर षामिल पत्रावली किया गया। समय 06.20 पीएम पर आरोपी श्री आशीष कुमार तकनीषियन-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ द्वारा परिवादी श्री मोहन लाल से उसकी पत्नि के नाम ग्राम रलायती थाना झालरापाटन सदर में 8 बीघा कृशि भूमि है, जिसमें कृषि विघुत कनेक्शन हेतु जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड ग्रामीण में लाईट के श्री फेज कनेक्शन के लिए आवेदन कर डिमाण्ड जमा करवा दिया था। परिवादी कृषि कनेक्शन हेतु जेईएन ग्रामीण से मिला तो उन्होने स्टोर कीपर आशीष से मिलने के लिए बोला। परिवादी जब आशीष स्टोर कीपर से मिला तो उसने 10,000रूपये स्वयं के लिये मांगे तथा 10-10 हजार एईएन/जेईएन को देने के लिए कुल 30,000रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, रिश्वत राशि कागज में लिपटे 10,000रूपये शर्ट की सामने की बायीं जेब से तथा कागज में लिपटे 20,000रूपये पेन्ट की सामने की बायीं जेब से बरामद होने पर वक्त ट्रेप कार्यवाही आज दिनांक 14.06.2024 को रिश्वत राशि 30,000रूपये प्राप्त करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी आशीष कुमार को जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने पर आरोपी श्री आशीष कुमार को धारा 41 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामप्रसाद मीना से लिवायी गयी तो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब से मिले 3,060रूपये के बारे में पूछा गया तो उसने घर से साथ लाना बताया तथा पर्स में कागज इत्यादी रखे हुए थे। आरोपी का जवाब संतोशप्रद होने पर पर्स और 3,060रूपये आरोपी को वापस लौटाये गये तथा इसके अतिरिक्त पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उनके अधिकारी सहायक अभियंता श्री गोपाल लाल मीना को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 06.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में परिवादी श्री मोहन लाल की निषानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर नक्षा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मुर्तिब शुदा नक्शा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.00 पीएम पर परिवादी श्री मोहन लाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामप्रसाद मीना व श्री भूपेन्द्र कुमार की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को निर्देष देकर आज दिनांक 14.06.2024 को परिवादी श्री मोहन लाल एवं आरोपी श्री आशीष कुमार तकनीषियन-प्रथम के मध्य कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़ में उपभोक्ता शाखा ग्रामीण झालावाड़ के कमरा नं0 03 में वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता हुई थी, जिसे परिवादी श्री मोहन लाल द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में वार्तालाप के दौरान रिकार्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देष देकर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मोहन लाल के समक्ष वार्ता को स्पीकर आन कर वार्ता को सुनाया गया, तो वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मोहन लाल ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री आशीष कुमार तकनीषियन-प्रथम की तथा तीसरी आवाज श्री प्रदीप कुमार जेईएन की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटोप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देषन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 पीएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है आरोपी के कक्ष कमरा नं0 03 घटनास्थल पर रखी टेबिल पर व आसपास अलमारी की सरसरी तलाशी ली गई तो कोई संदिग्ध वस्तु एवं राशि नहीं मिली। आरोपी के किराया का मकान नं0 99 लालबाग झालरापाटन जिला झालावाड़ की खाना तलाशी ली जानी है। अतः परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से एसीबी कार्यालय, झालावाड़ पहुंचने की हिदायत देकर मौके से रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री आशीष कुमार को साथ लेकर मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर व जब्त शुदा रिश्वत राशि व आर्टिकल्स इत्यादी के मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 के साथ लाये अपने-अपने सरकारी व प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर समय 09.20 पीएम पर आरोपी के किराया का मकान नं0 99 लालबाग झालरापाटन जिला झालावाड़ पहुंचा। वाहनो को साईड में खड़ा कर आरोपी श्री आशीष कुमार के पीछे-पीछे मय स्वतन्त्र गवाहान एवं जाब्ता के आरोपी के मकान में प्रवेष किया तो वहां उसकी पत्नि व बच्चा मौजूद थे, जिन्हें घटना की जानकारी दी गई व आने का कारण बताया। समय 09.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में रूबरू मौतबिरान के समक्ष आरोपी श्री आशीष कुमार से सहमति प्राप्त की जाकर उसके किराये के मकान की खाना तलाषी ली गई। खाना तलाशी के दौरान कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूशण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु/दस्तावेज जब्त कर कब्जे

ब्यूरो ली गयी। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री आशीष कुमार को दी गयी। समय 10.00 पीएम पर आरोपी के किराया का मकान नं0 99 लालबाग झालरापाटन जिला झालावाड़ की खाना तलाशी लेने की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के पष्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराहियान जाब्ता व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री आशीष कुमार के व ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि के एक लिफाफे में 10,000रूपये व दूसरे लिफाफे में 20,000रूपये कुल 30,000रूपये के दो लिफाफे तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि के साथ लाये अपने-अपने सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी चैकी झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 10.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय आरोपी के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुचे। जहां परिवादी श्री मोहन लाल उपस्थित मिला। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि के दो लिफाफे जिसमें एक लिफाफे में 10,000रूपये व दूसरे लिफाफे में 20,000रूपये कुल 30,000रूपये तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री भोजराज सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। समय 10.30 पीएम पर श्री भोजराज सउनि मय जाब्ता श्री शिवराज कानि0 नं0 166 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री आशीष कुमार को मय सरकारी वाहन मय चालक के पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाने हेतु रवाना किया जो समय 10.45 पीएम पर आरोपी श्री आशीष कुमार को पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कराकर कार्यालय में हाजिर आये। समय 10.50 पीएम पर दिनांक 13.06.2024 को परिवादी श्री मोहन लाल व आरोपी श्री आशीष कुमार के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 14.06.2024 को समय 11.50 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 14.06.2024 को वक्त रिष्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री मोहन लाल व आरोपी श्री आशीष कुमार के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.06.2024 को समय 07.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताऐ कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा कम्प्यूटर में सीडीयां लगाकर ब्रन कराकर चार क्लोनिंग सीडी तैयार करवायी गयी। चारों सीडियों व मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों सीडियों में से एक सीडी आरोपी श्री आशीष कुमार के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर तीन सीडियों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर रखा गया तथा रिश्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राषि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K02V BM MADE IN TAIWAN) में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्ड चीट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द क्लोनिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 11.35 पीएम पर परिवादी श्री मोहन लाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामप्रसाद मीना व श्री भूपेन्द्र कुमार को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 13.06.2024 को श्री मोहनलाल पुत्र श्री तुलसीराम जाति मेहर उम्र 34 साल निवासी गांव गुडा ए.आर. नगर झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वयं उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की पत्नि श्रीमती प्रियंका के नाम ग्राम रलायती थाना झालरापाटन सदर में 8 बीघा कृषि भूमि है, जिसमें कृषि विघुत कनेक्शन हेतु मैंने जे.वी.वी.एन.एल. झालावाड़ में लाईट के थ्री फेज कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। मेरी पत्नि के नाम कृषि विघुत कनेक्शन स्वीकृत होने पर डिमाण्ड भी दिनांक 04.03.2024 को 24,950रूपये मेरे द्वारा जमा करवा दिया गया था। प्रार्थी अपने कृषि भूमि पर कृषि विघुत कनेक्शन करवाने हेतु जेईएन ग्रामीण से मिला तो उन्होने स्टोर कीपर आशीष से मिलने के लिए बोला जब मैं आशीष स्टोर कीपर से मिला तो उन्होने बताया कि कृषि विघुत कनेक्शन ऐसे नहीं होगा, इसमें आपको मुझे 30,000रूपये खर्चे पानी के देने पड़ेगे। मुझे एईएन और जेईएन को भी देने पड़ते है, तब जाकर आपका कृषि विघुत कनेक्शन होगा। मैं डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद कई बार आशीष के पास गया, परन्तु वह बार-बार रिश्वत देने की बोलता है। परिवादी की उक्त शिकायत पर उसी दिन दिनांक 13.06.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये जाने पर सत्यापन के दौरान ही आरोपी श्री आशीष कुमार द्वारा परिवादी से 10,000रूपये स्वयं के लिए व 20,000रूपये जेईएन/एईएन के लिए कुल 30,000रूपये की रिश्वत राशि की मांग की, जो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी के कथनों से पुष्टि होने पर आज दिनांक 14.06.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी श्री आशीष कुमार द्वारा परिवादी की पत्नि के नाम से कृषि विघुत कनेक्शन करवाने की एवज में उसके कहे अनुसार परिवादी ने एक कागज में 10,000रूपये व दूसरे कागज में 20,000रूपये लपेट कर कुल 30,000रूपये रिश्वत राशि आरोपी को दी। आरोपी आशीष कुमार की जामा तलाशी में उसके पास से कागज में लिपटे

10,000रूपये शर्ट की सामने की बायीं जेब से तथा कागज में लिपटे 20,000रूपये पेन्ट की सामने की बायीं जेब से कुल रिश्वत राशि 30,000रूपये रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी श्री आशीष कुमार के दोनों हाथों के धुलाई का धोवन का रंग मटमेला व लिपटे मिले 10,000रूपये के कागज व 20,000रूपये के कागज के धुलाई का धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी श्री आशीष कुमार के हाथों के धुलाई के धोवन में घोल का रंग रंगहीन/गंदला आने पर आरोपी की शर्ट व पेन्ट की धुलाई नहीं करवायी गयी। परिवादी के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित पत्रावली की प्रमाणित शुदा फोटोप्रति प्राप्त कर कब्जे एसीबी ली गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.06.2024, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.06.2024, फर्द बरामदगी व जब्त पेण्डिंग कार्य से आरोपी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री आशीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र, फर्द बरामदगी में परिवादी के स्पष्टीकरण एवं वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता से श्री प्रदीप कुमार जेईएन की भूमिका भी संदिग्ध पायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में अनुसंधान के दौरान स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावेगा। अतः आरोपी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री राम दुलार राय जाति ब्राह्मण उम्र 37 साल निवासी महाराणा प्रताप नगर न्यू पुलिस लाईन आरा थाना नवादा जिला भोजपुर (बिहार) हाल किराया का मकान नं0 99 लालबाग झालरापाटन जिला झालावाड़ एवम् हाल तकनीषियन-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़० के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित की जावेगी। भवदीय (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री राम दुलार राय, निवासी महाराणा प्रताप नगर न्यू पुलिस लाईन आरा थाना नवादा जिला भोजपुर (बिहार) हाल किराया का मकान नं0 99 लालबाग झालरापाटन जिला झालावाड़ एवम् हाल तकनीशियन-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस-ग्रामीण) जयपुर डिस्काम, झालावाड़० के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ताराचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 237 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 601-04 दिनांक 15.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 अधीक्षण अभियंता(झा.वृत) पवस, जयपुर डिस्काम, झालावाड। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Tara Chand **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/06/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	17/06/1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)